न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या –7/2018 जिला दौसा

1. रामनाथ पि.मु. मेवा
2. रामजी लाल
3. भजनी
4. रामकिशन
5. रामफूल

पिसरान श्रवण, जाति मीणा, निवासी ग्रम सीण्डोली, तहसील दौसा, जिला दौसा ।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. प्रभात
2. पांचूराम
3. नानगा

पिसरान बिरदा , जाति मीना, निवासी सीण्डोली, तहसील व जिला दौसा ।

4. राज. सरकार जरिये तसीलदार दौसा, जिला दौसा ।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.12.2005

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री हरि प्रसाद जांगीड
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री विजय सिंह राठौड

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय

दिनांक 17.7.2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.12.2005 के विरूद्ध मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 29.8.2011 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि ग्रम सिण्डोली , तहसील व जिला दौसा स्थित आराजी खसरा नम्बर 557 एवं 559 रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 556 गैर मुमकीन चाह के खातेदार बिरदा पुत्र धोंकला, श्रवण, रामनाथ पि. मेवा जाति मीना थे । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा खसरा परिशोधन आदेश दिनांक 12.1.82 द्वारा उक्त खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बर 859, 862, 863, 868, 872, 1679 से 1682, 1685 से 1687 रकबा 4.38 हैक्टेयर बहक बिरधा पुत्र धोंकला , खसरा नम्बर 856, 860, 866, 870, 874, 876, 1678, 1683 1691 से 1693 रकबा 3.17 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 855, 857, 867, 869, 873, 875, 1676, 1677, 1684, 1688, 1689, 1690 रकबा 4.56 हैक्टेयर का रकबा 11.27 हैक्टेयर दर्ज होना चाहिये था , लेकिन साबिक रकबा 1.06 हैक्टेयर अधिक दर्ज कर दिया गया व पर्चा सं. 279 खाता संख्या 110 , पर्चा संख्या 321 खाता संख्या 276 एवं पर्चा संख्या 330 खाता संख्या 336 पर्चा नं. 280/1/2 खाता संख्या 110, 114 जरिये परिशोधन संख्या 40 द्वारा किया गया ।

सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर के खसरा परिशोधन आदेश दिनांक 12.1.82 से व्यथित होकर रेस्पोंडेन्ट्स प्रभात वगैहरा द्वारा अपील न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के समक्ष दिनांक 16.2.2004 को मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ मियाद बाहर पेश की गई, जो अपीलाधीन निर्णय दिनांक 21.12.2005 द्वारा जमाबन्दी संवत 2030– 2033 खाता संख्या 110 वाके ग्रम सिण्डोली के खसरा नम्बर 557 –1 ला. 7 व खसरा नम्बर 559 –1 ला .4 कुल रकबा 45 बीघा 1 बिस्वा की खातेदारी अपीलान्ट 1 ला. 3 के पिता बिरदा व अपीलान्ट 4 ला. 7 के पिता श्रवण व अपीलान्ट संख्या 8 रामनाथ के नाम दर्ज रेकार्ड होने व अपीलान्ट संख्या 1 ला. 3 का 1/2 व अपीलान्ट संख्या 4 लगायत 7 का हिस्सा 1/4 एवं अपीलान्ट संख्या 8 का हिस्सा 1/4 स्पष्ट प्रमाणित होने व खसरा नम्बर 556 रकबा 1 बिस्वा गैर मुमकीन चाह के भी हिस्सेदार होने, प्रश्नगत परिशोधन अनुसार पक्षकारों का बटवारा उनके हिस्से अनुसार नहीं किया गया है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को रकबा कम ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उन्हें तकासमा करने का भी अधिकार नहीं है । तकासमा आर.टी.ए. की धारा 53 के तहत किया जाता है जिसके अधिकार उप जिला कलक्टर को ही है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के तर्कों से सहमत होते हुये अधीनस्थ न्यायालय के परिशोधन आदेश को क्षेत्राधिकार विहीन, विधि प्रकिया के विपरीत , प्रभाव शून्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का परिशोधन आदेश दिनांक 12.1.1982 खारिज किया गया ।

अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 21.12.2005 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामनाथ वगैहरा द्वारा यह द्वितीय अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ मियाद बाहर दिनांक 29.8.2011 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.12.2005 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्र अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि के खातेदार बिरदा पुत्र धोकला व श्रवण , रामनाथ पिसरान मेवा कौम मीना थे । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर ने खसरा परिशोधन आदेश दिनांक 12.1.82 द्वारा अपीलान्ट्स एवं रेस्पोंडेन्ट्स की संयुक्त खातेदारी भूमि को विभाजित किया गया है, जो वैध है । भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर एवं दोनों पक्षों के खसरा परिशोधन पर हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी कराकर उन्हें पढवाकर समझाकर विधिवत रूप से तैयार किया था । उनका कहना था कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एकपक्षिय अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है । उनका कहना था कि अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनवानी अपील प्रभात बनाम राज. सरकार प्रस्तुत नहीं की न ही अपीलान्ट ने कोई हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी की । इस अपील के रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा गैर कानूनी कार्यवाही कर अपने अधिवक्ता से मिलकर अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश कराकर अवैध व अनुचित कार्यवाही की है । उनका कहना था कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के फर्जी हस्ताक्षर कर रेस्पोंडेन्ट्स ने अपील प्रस्तुत की थी जिसके संबंध में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में जरिये इस्तगासा विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 420, 464, 467, 468, 470, 471 एवं धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा रखी है । उनका कहना था कि खातेदार बिरदा की प्रथम पत्नी का नाम रामा था जिसके श्रवण व रामनाथ है

तथा द्वितीय पत्नि गौरा जिसके नानगा, प्रभात, पांचूराम रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 तथा श्रवण फौत हो जाने पर उसके पुत्रान रामजीलाल, भजनी, रामकिशन, रामफूल अपीलान्ट संख्या 2 से 5 है । अपीलाधीन निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को पटवारी के पास अपने खाते की जमाबन्दी लेने हेतु जाने पर दिनांक 31.5.2010 को हुई और आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील प्रस्तुत की है । अतः विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि भू प्रबन्ध विभाग को किसी भी खातेदार का रकबा कम या ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा न ही सहखातेदारों में भूमि का तकासमा करने का अधिकार है । उनका कहना था कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अन्तर्गत काश्तकारों में तकासमा करने का अधिकार उप खण्ड अधिकारी को प्रदत्त है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा खसरा परिशोधन आदेश दिनांक 12.1.82 द्वारा पक्षकारों में बंटवारा किया है, जो क्षेत्राधिकार विहीन , विधि विरूद्ध एवं शून्य है तथा ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिये कोई समय सीमा बाधित नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश द्वारा प्रश्नगत खसरा परिशोधन आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी दिनांक 12.1.82 को क्षेत्राधिकार विहीन मानते हुये रेस्पोंडेन्ट की अपील स्वीकार कर प्रश्नगत आदेश सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी खारिज किया है । उनका कहना था कि यह द्वितीय अपील अपीलान्ट्स द्वारा मियाद बाहर पेश की गई है तथा विलम्ब का कारण भी संतोषजनक नहीं है । अतः न्यायिक रूप से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे । अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) आर.आर.टी. 232 एवं 2014 (2) आर. आर.टी. 1331 की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया ।

चित्रा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

मैंने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का अवलोकन किया । सर्वप्रथम मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण मियाद के संबंध मे लचिला रूख अपनाते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । प्रकरण में विवादित भूमि के सहखातेदारों में सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी जयपुर द्वारा खसरा परिशोधन आदेश दिनांक 12.1.82 द्वारा बंटवारा /तकासमा किया गया है जिसके खिलाफ रेस्पोंडेन्ट की अपील अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2005 द्वारा प्रश्नगत परिशोधन अनुसार पक्षकारों का बटवारा उनके हिस्से अनुसार नहीं किया गया है । सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी को रकबा कम ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है तथा उन्हें तकासमा करने का भी अधिकार नहीं है । तकासमा आर.टी.ए. की धारा 53 के तहत किया जाता है जिसके अधिकार उप जिला कलक्टर को ही है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के तर्कों से सहमत होते हुये अधीनस्थ न्यायालय के परिशोधन आदेश को क्षेत्राधिकार विहीन, विधि प्रक्रिया के विपरीत , प्रभाव शून्य मानते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का परिशोधन आदेश दिनांक 12.1.1982 खारिज किया गया ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स थे । अपीलान्ट्स के अधिवक्ता का कथन कि "अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उनवानी अपील प्रभात बनाम राज. सरकार प्रस्तुत नहीं की

न ही अपीलान्ट ने कोई हस्ताक्षर /अंगूठा निशानी की । इस अपील के रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 द्वारा गैर कानूनी कार्यवाही कर अपने अधिवक्ता से मिलकर अधिनस्थ न्यायालय में अपील पेश कराकर अवैध व अनुचित कार्यवाही की है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थीगण के फर्जी हस्ताक्षर कर रेस्पोंडेन्ट्स ने अपील प्रस्तुत की थी जिसके संबंध में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दौसा में जरिये इस्तगासा विपक्षीगण के विरूद्ध धारा 420, 464, 467, 468, 470, 471 एवं धारा 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा रखी है'' । ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपीलान्ट संख्या 1 रामनाथ एवं अपीलान्ट संख्या 2 से 5 के पिता श्रवण विवादित भूमि के खातेदार होने से प्रभावित पक्षकार है, जिन्हे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है । किसी भी हितबद्ध व्यक्ति को बिना सुने उसके अधिकारों के विपरीत पारित आदेश को न्यायिक दृष्टि से विधिसम्यक नहीं ठहराया जा सकता । अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा ने अपीलान्ट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2005 पारित किया है , जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में उचित एवं विधिसम्यक नहीं है । अतः प्रकरण प्रभावित उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अति. जिला कलक्टर दौसा दिनांक 21.12.2005 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर दौसा को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक को 17.7.2018 को सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर